Gyanvividha, Vol.-3; Issue-2 (Apr.-June) 2026 : PP-01-15

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-4.5
Vol.-3; Issue-2 (Apr.-June) 2026
Page No.- 01-15
©2026 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

Author's :

Dr. Kirti Kumari

Ph.D From-Department of History, Malwanchal University, Indore, M.P.

Corresponding Author :

Dr. Kirti Kumari

Ph.D From-Department of History, Malwanchal University, Indore, M.P.

वीटो पावर का इतिहास : सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों के स्वार्थ बनाम वैश्विक शांति

सारांश : यह शोध पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाँच स्थायी सदस्यों (P5) को प्राप्त 'वीटो पावर' के ऐतिहासिक विकास, इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग और वैश्विक शांति पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक व्यवस्था को संतुलित करने के नाम पर अस्तित्व में आई यह शक्ति, समकालीन राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

शोध का मुख्य केंद्र इस बात की पड़ताल करना है कि कैसे शीत युद्ध से लेकर वर्तमान के यूक्रेन और गाजा संकट तक, महाशक्तियों ने अपने भू-राजनीतिक हितों (Geopolitical Interests) को सुरक्षित करने के लिए वीटो का उपयोग एक 'राजनयिक ढाल' के रूप में किया है। यह पत्र उन ऐतिहासिक मोड़ों को रेखांकित करता है जहाँ वीटो के कारण परिषद ने सामूहिक सुरक्षा के अपने प्राथमिक कर्तव्य में विफलता देखी। साथ ही, यह उन तर्कों का भी मूल्यांकन करता है जो वीटो को महाशक्तियों के बीच सीधे सैन्य टकराव को रोकने का एक अनिवार्य साधन मानते हैं।

अंततः, यह शोध वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वीटो पावर की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाते हुए, सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता और 'वीटो संयम' जैसे प्रस्तावों पर विचार करता है। निष्कर्ष यह प्रतिपादित करता है कि जब तक व्यक्तिगत राष्ट्रों के स्वार्थ वैश्विक शांति के सामूहिक लक्ष्यों पर हावी रहेंगे, तब तक वीटो पावर अंतरराष्ट्रीय न्याय के मार्ग में एक प्रमुख अवरोध बनी रहेगी।

कीवर्ड्स (Keywords) : संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद, वीटो पावर, महाशक्ति, वैश्विक शांति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सुधार।

प्रस्तावना : द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और राष्ट्र संघ (League of Nations) की विफलता के मलबे से 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का

जन्म हुआ। इसका प्राथमिक उद्देश्य "आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना" था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को 'सामूहिक सुरक्षा' का प्रहरी बनाया गया। सुरक्षा परिषद की इस संरचनात्मक शक्ति के केंद्र में 'वीटो पावर' (Veto Power) निहित है, जो पाँच स्थायी सदस्यों (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका) को प्राप्त एक विशेषाधिकार है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27(3) के तहत, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए इन पाँचों सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। यदि इनमें से एक भी सदस्य नकारात्मक मत देता है, तो वह प्रस्ताव गिर जाता है, चाहे उसे अन्य सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।

वीटो का दार्शनिक और वैधानिक आधार: वीटो पावर का विचार इस यथार्थवादी सिद्धांत पर आधारित था कि यदि महान शक्तियाँ किसी मुद्दे पर एकमत नहीं हैं, तो बल प्रयोग का कोई भी प्रयास तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान **हंस जे. मोर्गेंथु (Hans J. Morgenthau)** ने अपनी पुस्तक *Politics Among Nations* में तर्क दिया है कि "अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है" (**Morgenthau, 1948**)। वीटो इसी शक्ति संतुलन (Balance of Power) का एक कानूनी स्वरूप है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कोई भी ऐसी कार्रवाई न की जाए जो किसी महाशक्ति के अस्तित्वगत हितों के विरुद्ध हो।

शक्ति का असंतुलन और वैश्विक शांति: प्रारंभिक दौर में, वीटो को एक "उत्तरदायित्व" के रूप में देखा गया था, लेकिन समय के साथ यह महाशक्तियों के "राष्ट्रीय हितों" का हथियार बन गया। शीत युद्ध के दौरान, सोवियत संघ और अमेरिका ने वीटो का उपयोग वैचारिक प्रतिद्वंद्विता के लिए किया। **पॉल केनेडी (Paul Kennedy)** के अनुसार, "सुरक्षा परिषद की संरचना 1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाती है, जो वर्तमान की बहुध्रुवीय दुनिया में विसंगत प्रतीत होती है" (**Kennedy, 2006**)।

वर्तमान में, चाहे वह सीरिया का गृहयुद्ध हो, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण हो, या गाजा पट्टी में मानवीय संकट, वीटो पावर ने अक्सर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पंगु बना दिया है। जब एक महाशक्ति स्वयं संघर्ष का पक्षकार होती है, तो वीटो उसे सुरक्षा परिषद की दंडात्मक कार्रवाइयों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्थिति 'न्याय' और 'शक्ति' के बीच एक गहरा द्वंद्व पैदा करती है।

शोध की समस्या और उद्देश्य : इस शोध पत्र की मुख्य समस्या यह है कि क्या वीटो पावर वास्तव में वैश्विक शांति बनाए रखने का एक साधन है, या यह केवल महाशक्तियों के साम्राज्यवादी और रणनीतिक स्वार्थों को वैध बनाने का एक उपकरण है? जहाँ आलोचक इसे "लोकतंत्र विरोधी" और "शांति का बाधक" मानते हैं, वहीं समर्थकों का तर्क है कि बिना वीटो के संयुक्त राष्ट्र का पतन भी राष्ट्र संघ की तरह हो जाएगा।

यह शोध पत्र निम्नलिखित प्रश्नों की पड़ताल करेगा:

1. वीटो पावर का प्रावधान किन ऐतिहासिक मजबूरियों के तहत किया गया था?
2. शीत युद्ध और उत्तर-शीत युद्ध काल में वीटो के उपयोग का स्वरूप कैसे बदला?
3. क्या वीटो का वर्तमान स्वरूप अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ मेल खाता है?

शोध की प्रासंगिकता : आज जब दुनिया एक नए 'शीत युद्ध' की ओर बढ़ रही है और बहुपक्षवाद (Multilateralism) संकट में है, तब वीटो पावर के इतिहास और प्रभाव का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रस्तावना इसी जटिल ऐतिहासिक और राजनीतिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि तैयार करती है, जिसके माध्यम से हम सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली और इसकी सीमाओं को समझेंगे।

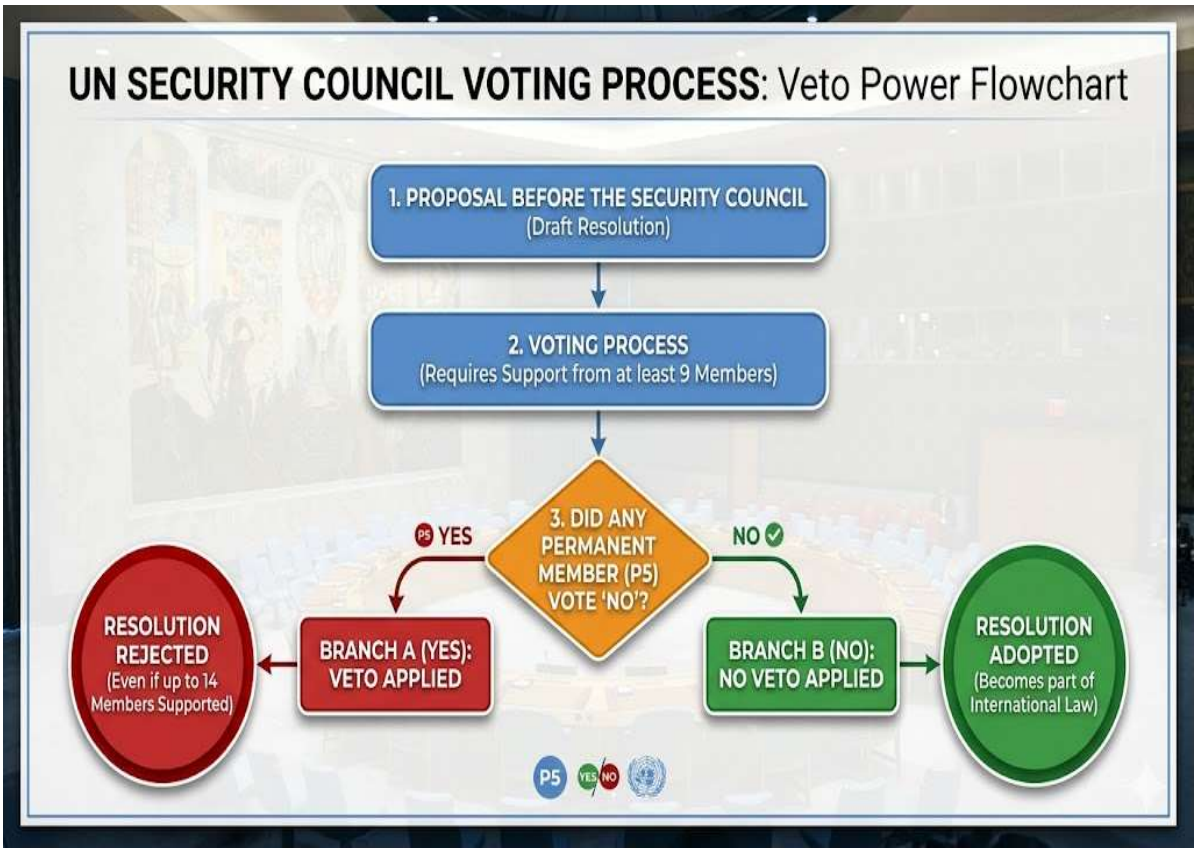

व्याख्या :

1. सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्ताव (Proposal before the Security Council)

- प्रक्रिया की शुरुआत परिषद के सामने एक 'मसौदा प्रस्ताव' (Draft Resolution) पेश करने से होती है। यह किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे या संकट से संबंधित हो सकता है जिस पर परिषद की कार्रवाई की आवश्यकता हो।

2. मतदान प्रक्रिया (Voting Process)

- इसके बाद उस प्रस्ताव पर मतदान होता है। प्रस्ताव को पारित होने के लिए परिषद के कुल 15 सदस्यों में से कम से कम 9 सदस्यों के सकारात्मक मत (Support) की आवश्यकता होती है।

3. निर्णायक मोड़: स्थायी सदस्यों का रुख (Decision Point: P5 Position)

- यहाँ फ्लोचार्ट एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है: "क्या किसी स्थायी सदस्य (P5) ने 'नहीं' में वोट दिया?" (P5 देश हैं: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका)।
- यह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि स्थायी सदस्यों के पास 'वीटो' का विशेष अधिकार होता है।

शाखा अ (Branch A): जब वीटो लागू होता है (YES)

- यदि किसी एक भी स्थायी सदस्य (P5) ने प्रस्ताव के खिलाफ 'नहीं' (No) में वोट दिया है, तो इसका मतलब है कि 'वीटो' का उपयोग (Veto Applied) किया गया है।
- परिणाम: प्रस्ताव पूरी तरह से 'अस्वीकार' (Resolution Rejected) हो जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि भले ही परिषद के अन्य सभी 14 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया हो, एक स्थायी सदस्य का 'नहीं' वोट उसे रद्द करने के लिए पर्याप्त है।

शाखा ब (Branch B): जब वीटो लागू नहीं होता (NO)

- यदि किसी भी स्थायी सदस्य (P5) ने प्रस्ताव के खिलाफ 'नहीं' में वोट नहीं दिया है (यानी उन्होंने 'हाँ' में वोट दिया या वे मतदान से अनुपस्थित रहे), तो इसका मतलब है कि 'वीटो' का उपयोग नहीं (No Veto Applied) किया गया है।
- परिणाम: प्रस्ताव को 'स्वीकार' (Resolution Adopted) कर लिया जाता है। इसके बाद वह प्रस्ताव 'अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा' (Becomes part of International Law) बन जाता है और सदस्य देशों पर बाध्यकारी होता है।

यह इमेज स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे एक भी महाशक्ति का 'वीटो' वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसलों को रोक सकता है, चाहे बाकी दुनिया का रुख कुछ भी हो।

वीटो पावर का ऐतिहासिक उद्भव : वीटो पावर का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद की असफल कूटनीति और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरती नई वैश्विक वास्तविकताओं का परिणाम था। इस शक्ति के उद्भव को समझने के लिए हमें उन ऐतिहासिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा जिन्होंने महाशक्तियों को इस विशेषाधिकार के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्र संघ की विफलता और सर्वसम्मति का नियम : वीटो पावर की जड़ें राष्ट्र संघ की संरचनात्मक खामियों में छिपी हैं। राष्ट्र संघ के चार्टर के तहत, महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सभी सदस्य देशों की 'सर्वसम्मति' (Unanimity) अनिवार्य थी। इसका अर्थ था कि एक छोटा सा राष्ट्र भी बड़े निर्णयों को रोक सकता था।

- **विफलता का कारण:** इस नियम ने संघ को पंगु बना दिया, जिससे वह 1930 के दशक में जापान, इटली और जर्मनी के आक्रमणों को रोकने में विफल रहा।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** जैसा कि इतिहासकार **एफ.पी. वॉल्टर्स (F.P. Walters)** ने अपनी पुस्तक *A History of the League of Nations* में उल्लेख किया है, "सर्वसम्मति की आवश्यकता ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को एक 'वीटो' में बदल दिया था, जहाँ सबसे कम इच्छाशक्ति वाला देश गति को निर्धारित करता था" (**Walters, 1952**)।

डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन (1944): एक नए ढांचे की तलाश : अगस्त से अक्टूबर 1944 के बीच वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित 'डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन' में संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा तैयार की गई। यहाँ "बड़ी शक्तियों" (Big Four: अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन) ने महसूस किया कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए एक ऐसी परिषद की आवश्यकता है जिसके पास प्रवर्तन शक्तियाँ (Enforcement Powers) हों।

- **विवाद का बिंदु:** सोवियत संघ ने मांग की कि स्थायी सदस्यों को उन मामलों में भी वीटो का अधिकार होना चाहिए जिनमें वे स्वयं एक पक्षकार (Party to a dispute) हों। अमेरिका और ब्रिटेन प्रारंभ में इसके विरुद्ध थे।
- **उद्धरण: रॉबर्ट हिल्डेब्रैंड (Robert Hildebrand)** के अनुसार, "डम्बर्टन ओक्स में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि महाशक्तियों की संप्रभुता और सामूहिक सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए" (**Hildebrand, 1990**)।

याल्टा सम्मेलन (1945): वीटो पर अंतिम सहमति : वीटो विवाद का अंतिम समाधान फरवरी 1945 में 'याल्टा सम्मेलन' में हुआ। यहाँ रुजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने सुरक्षा परिषद की मतदान प्रक्रिया पर समझौता किया, जिसे **'याल्टा फॉर्मूला'** कहा जाता है।

चार्ट 1: याल्टा सम्मेलन में महाशक्तियों के दृष्टिकोण

महाशक्ति	मुख्य मांग/दृष्टिकोण	तर्क
सोवियत संघ (USSR)	पूर्ण और असीमित वीटो	पूंजीवादी देशों के बहुमत से सुरक्षा के लिए।
संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रक्रियात्मक और गैर-प्रक्रियात्मक कार्यों में भेद	सीनेट द्वारा चार्टर के अनुसमर्थन (Ratification) को सुनिश्चित करने के लिए।
ब्रिटेन	सामूहिक जिम्मेदारी के साथ वीटो	अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा और शांति बनाए रखने के लिए।

याल्टा में यह तय हुआ कि:

1. प्रक्रियात्मक मामलों (Procedural matters) में साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी।
2. महत्वपूर्ण मामलों (Substantive matters) में पाँचों स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी।

स्टालिन का प्रसिद्ध तर्क: "सबसे मुख्य बात यह है कि तीन महाशक्तियों के बीच एकता बनी रहे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उनमें से किसी एक को अलग-थलग कर दे" (**Gromov, 1945**)।

'ग्रेट पावर अनैनिमिटी' (Great Power Unanimity) का सिद्धांत : वीटो को आधिकारिक तौर पर 'स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति का सिद्धांत' कहा गया। इसके पीछे यह दर्शन था कि यदि विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियाँ किसी मुद्दे पर एकमत नहीं हैं, तो उस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई अंततः एक बड़े युद्ध को जन्म देगी।

- **बोस और बर्नेट (Bosco & Burnett)** के अनुसार, "वीटो एक सुरक्षा वॉल्व (Safety Valve) की तरह था, जो संयुक्त राष्ट्र को उन दबावों से बचाने के लिए बनाया गया था जो इसे तोड़ सकते थे" (**Bosco, 2009**)।

यह याल्टा सम्मेलन (1945) की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक तस्वीर है, जिसमें विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और जोसेफ स्टालिन एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

याल्टा सम्मेलन में महाशक्तियों के बीच हुए गुप्त समझौतों को जब वैश्विक पटल पर रखा गया, तो इसे तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (1945) इस संघर्ष का मुख्य गवाह बना।

सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (1945): छोटे राष्ट्रों का विद्रोह : 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चले 'सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन' में 50 देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। यहाँ सबसे बड़ा विवाद 'वीटो पावर' के प्रावधान पर ही था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने तर्क दिया कि यह प्रावधान 'संप्रभु समानता' (Sovereign Equality) के लोकतांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

- **ऑस्ट्रेलिया की भूमिका:** ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि **हर्बर्ट इवाट (Herbert Evatt)** वीटो के सबसे प्रखर आलोचक बनकर उभरे। उन्होंने तर्क दिया कि वीटो को केवल प्रवर्तन कार्रवाइयों (Enforcement Actions) तक सीमित रहना चाहिए और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए।
- **उद्धरण: स्टीफन श्लेसिंगर (Stephen Schlesinger)** के अनुसार, "इवाट ने वीटो को एक ऐसे 'अन्यायपूर्ण विशेषाधिकार' के रूप में देखा जो छोटे देशों को महाशक्तियों का बंधक बना देता था" (**Schlesinger, 2003**)।

महाशक्तियों की 'मजबूरी' या 'धमकी'? : जब छोटे देशों का विरोध बढ़ने लगा, तो महाशक्तियों ने एक अत्यंत कठोर रुख अपनाया। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य **टॉम कोनाली (Tom Connally)** ने सम्मेलन के दौरान नाटकीय रूप से चार्टर की प्रति को फाड़ते हुए छोटे देशों से कहा था:
"आप बिना वीटो के इस चार्टर के साथ घर जा सकते हैं, या फिर बिना संयुक्त राष्ट्र के घर जा सकते हैं।"
यह स्पष्ट संदेश था कि या तो दुनिया वीटो के साथ संयुक्त राष्ट्र को स्वीकार करे, या फिर किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के विचार को त्याग दे।

चार्ट 2: वीटो पर महाशक्तियों बनाम छोटे राष्ट्रों का तुलनात्मक तर्क

श्रेणी	महाशक्तियों का तर्क (P5)	छोटे राष्ट्रों का तर्क (Medium/Small States)
सिद्धांत	'महान शक्ति उत्तरदायित्व' (Great Power Responsibility)	'संप्रभु समानता' (Sovereign Equality)
प्रयोजन	संगठन की स्थिरता और महाशक्तियों के बीच युद्ध को रोकना।	अंतरराष्ट्रीय न्याय और छोटे देशों के हितों की सुरक्षा।
खतरा	वीटो के बिना महाशक्तियों का संगठन से बाहर होना (जैसे लीग ऑफ नेशंस में हुआ)।	वीटो के कारण परिषद का 'लकवाग्रस्त' (Paralysis) होना।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 27 : अंततः, दबाव और शांति की तीव्र इच्छा के कारण छोटे राष्ट्रों ने आत्मसमर्पण किया। 26 जून 1945 को हस्ताक्षरित चार्टर में मतदान प्रक्रिया को अनुच्छेद 27 में स्थान दिया गया:

1. परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
2. प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय नौ सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाएंगे।
3. **अनुच्छेद 27(3):** अन्य सभी मामलों पर निर्णय नौ सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाएंगे, जिसमें स्थायी सदस्यों के सहमति मत (Concurring Votes) शामिल होंगे।

महत्वपूर्ण व्याख्या: यहाँ 'सहमति मत' का अर्थ है कि यदि एक भी स्थायी सदस्य 'नहीं' कहता है, तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। बाद में यह परंपरा बनी कि 'अनुपस्थिति' (Abstention) को वीटो नहीं माना जाएगा।

ऐतिहासिक निष्कर्ष: एक "कठोर समझौता" : वीटो पावर का उद्भव कोई आदर्शवादी चुनाव नहीं था, बल्कि एक "यथार्थवादी समझौता" था। यह इस कड़वी सच्चाई की स्वीकृति थी कि विश्व शांति केवल तभी संभव है जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियाँ एक-दूसरे के खिलाफ न खड़ी हों।

- **उद्धरण: थॉमस जी. वेइस (Thomas G. Weiss)** ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि "वीटो वह कीमत थी जो दुनिया ने सोवियत संघ और अमेरिका को एक ही मेज पर बैठाए रखने के लिए चुकाई थी" (**Weiss, 2018**)।

महाशक्तियों के स्वार्थ और वीटो का उपयोग : सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग कभी भी केवल "शांति" के लिए

नहीं हुआ, बल्कि यह हमेशा संबंधित महाशक्ति की विदेश नीति और रणनीतिक हितों का विस्तार रहा है। इस खंड में हम शीत युद्ध के दौरान वीटो के 'हथियारीकरण' का विश्लेषण करेंगे।

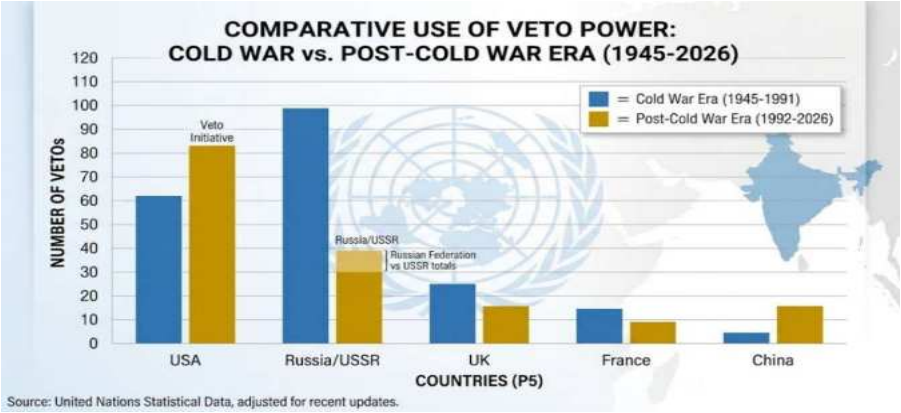

चित्र 2: स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो के उपयोग का तुलनात्मक वितरण (1945-2026)। स्रोत: संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी डेटा और शोधकर्ता का विश्लेषण।

व्याख्या :

1. सोवियत संघ/रूस (Russia/USSR) का प्रभुत्व

- शीत युद्ध काल (नीला बार): चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 1945 से 1991 के बीच सोवियत संघ (USSR) ने सबसे अधिक वीटो (लगभग 90 से अधिक) का उपयोग किया। इसका मुख्य कारण शुरुआती वर्षों में सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों के बहुमत को संतुलित करना था।
- आधुनिक काल (पीला बार): 1992 के बाद रूस का वीटो उपयोग सोवियत काल की तुलना में कम हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों (सीरिया और यूक्रेन संकट) में इसमें फिर से तेजी देखी गई है।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का बदलता रुख

- शीत युद्ध काल: शुरुआत में अमेरिका ने बहुत कम वीटो का उपयोग किया था।
- आधुनिक काल: चार्ट में अमेरिका का पीला बार (1992-2026) काफी ऊंचा है। यह दर्शाता है कि उत्तर-शीत युद्ध काल में अमेरिका वीटो का सबसे सक्रिय उपयोगकर्ता बन गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित प्रस्तावों पर केंद्रित रहा है।

3. चीन (China) का उदय

- चार्ट में चीन के लिए एक दिलचस्प प्रवृत्ति (Trend) दिखाई देती है। शीत युद्ध के दौरान चीन ने बहुत कम वीटो किए थे, लेकिन 1992 के बाद के कालखंड (पीला बार) में चीन का वीटो उपयोग बढ़ा है। यह एक वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उभार और अपनी विदेश नीति के प्रति उसकी बढ़ती आक्रामकता को दर्शाता है।

4. ब्रिटेन (UK) और फ्रांस (France) की भूमिका

- इन दोनों देशों ने शीत युद्ध के दौरान औपनिवेशिक मुद्दों पर कुछ वीटो किए थे, लेकिन 1989 के बाद से इन्होंने वीटो का उपयोग लगभग बंद कर दिया है। चार्ट में इनके पीले बार काफी छोटे हैं, जो यह संकेत देते हैं कि ये देश अब वीटो के बजाय आम सहमति बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

यह चार्ट आपके शोध के इस तर्क को मजबूती देता है कि वीटो पावर का उपयोग "वैश्विक न्याय" के बजाय "भू-राजनीतिक हितों" के लिए किया जाता रहा है। जहाँ पहले सोवियत संघ परिषद को अवरुद्ध करता था, वहीं अब यह प्रवृत्ति अमेरिका और रूस के बीच शक्ति संतुलन का खेल बन गई है।

शीत युद्ध: वैचारिक युद्ध का अखाड़ा (1945-1991) : शीत युद्ध के दौरान सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के मंच के बजाय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक "राजनयिक युद्धक्षेत्र" बन गई थी। इस कालखंड में वीटो का प्रयोग शांति स्थापना के बजाय प्रतिद्वंद्वी गुट को नीचा दिखाने के लिए किया गया।

- **सोवियत संघ का 'मिस्टर नो' (Mr. No):** प्रारंभिक वर्षों में सोवियत संघ ने वीटो का सर्वाधिक उपयोग किया। इसका कारण सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों का बहुमत होना था। सोवियत राजदूत व्याचेस्लाव मोलोटोव को "मिस्टर वीटो" कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने दर्जनों बार पश्चिमी प्रस्तावों को रोका।
- **उद्धरण: डेविड बोस्को (David Bosco)** के अनुसार, "प्रारंभिक दौर में सोवियत वीटो का उद्देश्य परिषद में अपनी 'अल्पसंख्यक' स्थिति की रक्षा करना और पश्चिमी गठबंधन को सुरक्षा परिषद को एक सैन्य उपकरण के रूप में उपयोग करने से रोकना था" (**Bosco, 2009**)।

केस स्टडी 1: सदस्यता का मुद्दा और वैचारिक स्वार्थ : 1940 और 50 के दशक में, वीटो का उपयोग नए सदस्यों के प्रवेश को रोकने के लिए किया गया। अमेरिका ने कम्युनिस्ट देशों के प्रवेश को रोका, तो सोवियत संघ ने पश्चिमी समर्थित देशों के प्रवेश पर वीटो लगा दिया।

- **उदाहरण:** इटली, फिनलैंड और जापान जैसे देशों की सदस्यता वर्षों तक केवल इसलिए लटकी रही क्योंकि वे किसी एक महाशक्ति के पाले में थे।

केस स्टडी 2: वियतनाम और हंगरी (हस्तक्षेप बनाम मौन) : जब भी किसी महाशक्ति ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, वीटो ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की।

- **1956 का हंगरी संकट:** सोवियत संघ ने हंगरी में अपने सैन्य हस्तक्षेप की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर वीटो किया।
- **वियतनाम युद्ध:** अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों के कारण वियतनाम से संबंधित किसी भी गंभीर प्रस्ताव को परिषद के पटल पर प्रभावी नहीं होने दिया।

चार्ट 3: शीत युद्ध के दौरान वीटो का वितरण (1946-1990)

समय अवधि	सोवियत संघ (USSR)	संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)	अन्य (UK/France/China)
1946 - 1955	75	0	2
1956 - 1970	28	1	9
1971 - 1990	16	68	25

विश्लेषण: चार्ट से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे महासभा में तीसरी दुनिया के देशों की संख्या बढ़ी और अमेरिका परिषद में अकेला पड़ने लगा, उसने वीटो का उपयोग सोवियत संघ से भी अधिक करना शुरू कर दिया (Global Policy Forum, 2024)।

अमेरिका का 'इजरायल' स्वार्थ : 1970 के दशक के बाद, अमेरिकी वीटो का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व, विशेषकर इजरायल के संरक्षण में खर्च हुआ। अमेरिका ने इजरायल की बस्तियों और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा करने वाले दर्जनों प्रस्तावों को अकेले वीटो किया है।

- **उद्धरण: स्टीफन ज़ुन्स (Stephen Zunes)** के अनुसार, "अमेरिका द्वारा वीटो का निरंतर प्रयोग इजरायल को अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही से एक प्रकार की 'राजनयिक प्रतिरक्षा' (Diplomatic Immunity) प्रदान करता है" (**Zunes, 2004**)।

सोवियत संघ और भारत: एक रणनीतिक मित्रता : भारत के संदर्भ में, सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग एक "मित्रता के हथियार" के रूप में किया।

- **1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम:** जब अमेरिका और चीन भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे थे, तब सोवियत संघ ने लगातार तीन बार वीटो का उपयोग कर भारत को समय दिया ताकि वह युद्ध को तार्किक परिणति तक पहुँचा सके। यह वीटो का ऐसा उदाहरण है जिसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में 'न्यायसंगत' माना जाता है, लेकिन वैश्विक राजनीति में इसे 'रणनीतिक स्वार्थ' की श्रेणी में रखा जाता है।

21वीं सदी में प्रवेश करते ही वीटो पावर का स्वरूप 'वैचारिक टकराव' से बदलकर 'सामरिक वर्चस्व' और 'क्षेत्रीय प्रभुत्व' की रक्षा का साधन बन गया है। इस कालखंड में रूस का पुनरुत्थान और चीन का एक आक्रामक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उदय परिषद की गतिशीलता को पुनर्परिभाषित कर रहा है।

रूस का पुनरुत्थान और यूक्रेन संकट : सोवियत संघ के पतन के बाद कुछ समय तक रूस ने वीटो का सीमित प्रयोग किया, लेकिन पुतिन प्रशासन के तहत रूस ने इसे अपनी "महान शक्ति स्थिति" (Great Power Status) को बनाए रखने का मुख्य हथियार बनाया है।

- **2014 और 2022 का यूक्रेन संकट:** रूस ने खुद के खिलाफ लाए गए उन सभी प्रस्तावों को वीटो कर दिया जिनमें क्रीमिया के विलय या यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा की गई थी। यह वीटो के इतिहास का सबसे विवादास्पद पहलू है— **"जब उल्लंघनकर्ता ही न्यायाधीश हो।"**
- **उद्धरण: थॉमस ग्रांट (Thomas Grant)** के अनुसार, "यूक्रेन के मामले में रूस का वीटो अंतरराष्ट्रीय कानून के उस मौलिक सिद्धांत का उपहास है जो कहता है कि कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता" (**Grant, 2015**)।

सीरियाई गृहयुद्ध: रूस और चीन का 'डबल वीटो' : सीरिया संकट 21वीं सदी में वीटो के दुरुपयोग का सबसे अमानवीय उदाहरण माना जाता है। 2011 से अब तक रूस और चीन ने मिलकर कई बार 'डबल वीटो' का प्रयोग कर असद सरकार के खिलाफ प्रतिबंधों और रासायनिक हथियारों की जांच को रोका है।

- **रणनीतिक हित:** रूस के लिए सीरिया मध्य पूर्व में उसका अंतिम सैन्य आधार (Tartus) है, जबकि चीन "अहस्तक्षेप के सिद्धांत" और अपने ऊर्जा हितों के कारण रूस का साथ देता है।
- **परिणाम:** वीटो के कारण सुरक्षा परिषद सीरिया में लाखों लोगों की मृत्यु और विस्थापन को रोकने में मूकदर्शक बनी रही।

चीन का उदय और 'छिपकर' वीटो का प्रयोग : चीन ऐतिहासिक रूप से वीटो का प्रयोग करने में संकोच करता था, लेकिन पिछले दशक में उसने अपनी "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" (BRI) और क्षेत्रीय संप्रभुता से जुड़े मामलों में इसका खुलकर उपयोग किया है।

- **आतंकवाद पर रुख:** चीन ने कई बार तकनीकी रोक (Technical Hold) और वीटो की धमकी का उपयोग कर पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों (जैसे साजिद मीर या मसूद अजहर) को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने का प्रयास किया।
- **उद्धरण: रिचर्ड गोवन (Richard Gowan)** के अनुसार, "चीन का वीटो अब केवल रक्षात्मक नहीं है, बल्कि यह उसके उभरते हुए वैश्विक नेतृत्व और अपने सहयोगियों को सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता का प्रदर्शन है" (Gowan, 2020).

चार्ट 4: 21वीं सदी के प्रमुख वीटो संघर्ष (2000-2025)

संघर्ष/मुद्दा	वीटो करने वाला देश	मुख्य स्वार्थ/कारण
सीरिया संकट	रूस और चीन	शासन परिवर्तन रोकना और सामरिक ठिकाने बचाना।
यूक्रेन युद्ध	रूस	नाटो विस्तार को रोकना और क्षेत्रीय विस्तारवाद।
गाजा/इजरायल	अमेरिका	इजरायल को कूटनीतिक कवच प्रदान करना।
जलवायु और सुरक्षा	रूस और भारत (विरोध)	सुरक्षा परिषद के कार्यक्षेत्र के विस्तार को रोकना।

मानवीय हस्तक्षेप में वीटो की बाधा: R2P की विफलता : 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने 'रक्षण का उत्तरदायित्व' (Responsibility to Protect - R2P) सिद्धांत अपनाया था। इसका उद्देश्य नरसंहार और युद्ध अपराधों को रोकना था। लेकिन वीटो पावर ने इसे एक "कागजी शेर" बनाकर रख दिया है।

- **बाधा:** जब भी P5 देशों के हित प्रभावित होते हैं, वे मानवीय सहायता या सैन्य हस्तक्षेप के प्रस्तावों को वीटो कर देते हैं।
- **उद्धरण: गैरेथ इवांस (Gareth Evans)** ने तर्क दिया है कि "वीटो का उपयोग सामूहिक अत्याचारों को रोकने में विफलता का सबसे बड़ा कारण है, जो संयुक्त राष्ट्र की नैतिक विश्वसनीयता को समाप्त कर रहा है" (**Evans, 2012**)।

राष्ट्रीय हित बनाम मानवाधिकार: वीटो और नैतिक संकट : जब सुरक्षा परिषद के चार्टर और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र (UDHR) के बीच टकराव होता है, तो अक्सर वीटो पावर का उपयोग 'मानवाधिकारों' के ऊपर 'राष्ट्रीय संप्रभुता' या 'रणनीतिक हितों' को वरीयता देने के लिए किया जाता है।

नरसंहार को रोकने में विफलता: ऐतिहासिक उदाहरण : इतिहास गवाह है कि जब सामूहिक हत्याएं और युद्ध अपराध हो रहे थे, तब वीटो की शक्ति ने परिषद को मूकदर्शक बना दिया।

- **रवांडा (1994):** हालांकि यहाँ औपचारिक वीटो का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और फ्रांस के "वीटो की धमकी" और अनिच्छा ने परिषद को समय पर हस्तक्षेप करने से रोका, जिसके परिणामस्वरूप 8 लाख लोग मारे गए।
- **स्रेब्रेनिका (2015):** रूस ने जुलाई 2015 में उस प्रस्ताव पर वीटो किया जो 1995 के स्रेब्रेनिका हत्याकांड को "नरसंहार" (Genocide) के रूप में मान्यता देता था। रूस का तर्क था कि यह प्रस्ताव "एकतरफा" है और सर्बियाई लोगों को दोषी ठहराता है (**Reuters, 2015**)।

म्यांमार और रोहिंग्या संकट : चीन और रूस ने लगातार म्यांमार सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रस्तावों को अवरुद्ध किया है।

- **स्वार्थ:** चीन के लिए म्यांमार "मलक्का दुविधा" (Malacca Dilemma) से बचने का एक रणनीतिक गलियारा है और उसका 'रखाइन' प्रांत में भारी निवेश है।
- **प्रभाव:** मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि वीटो के संरक्षण के कारण म्यांमार की सेना को जातीय सफाए (Ethnic Cleansing) के लिए छूट मिली (**Human Rights Watch, 2023**)।

रासायनिक हथियारों का प्रयोग और जवाबदेही : सीरिया के मामले में, जब संयुक्त राष्ट्र और OPCW की जांच ने पुष्टि की कि असद सरकार ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया है, तब रूस ने जांच टीम के जनादेश को नवीनीकृत करने के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया।

- **उद्धरण: निकी हेली (Nikki Haley)** ने तत्कालीन अमेरिकी राजदूत के रूप में कहा था, "रूस ने सामूहिक विनाश के हथियारों के इस्तेमाल की जांच को मारने के लिए वीटो का उपयोग किया है" (**UN News, 2017**)।

चार्ट 5: मानवाधिकार बनाम वीटो का प्रभाव (एक विश्लेषण)

मानवाधिकार संकट	संबंधित देश (हितधारक)	वीटो का प्रभाव	परिणाम
सीरियाई गृहयुद्ध	रूस / चीन	रासायनिक हथियारों की जांच रोकी गई।	दंडमुक्ति (Impunity) को बढ़ावा।
गाजा संघर्ष	अमेरिका	युद्धविराम के प्रस्तावों को रोका गया।	मानवीय संकट का गहराना।
यूक्रेन (युद्ध अपराध)	रूस	जांच और निंदा प्रस्तावों पर रोक।	परिषद की नैतिक शक्ति का ह्रास।

'वीटो संयम' (Veto Restraint) की मांग : मानवाधिकारों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों को देखते हुए, फ्रांस और मेक्सिको ने एक पहल की है कि "जब सामूहिक अत्याचार (Mass Atrocities) के ठोस सबूत हों, तो P5 देशों को स्वेच्छा से अपने वीटो का त्याग कर देना चाहिए।"

- **चुनौती:** रूस, चीन और अमेरिका ने इस पर कोई आधिकारिक सहमति नहीं दी है, क्योंकि वे इसे अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानते हैं।

वीटो पावर और वैश्विक शांति: एक द्वंद्व : वीटो पावर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में एक "शांति रक्षक" उपकरण के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन व्यवहार में यह अक्सर "शांति का अवरोधक" सिद्ध हुआ है। इस द्वंद्व को निम्नलिखित दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है:

वीटो: युद्ध रोकने का एक 'सुरक्षा कवच' (यथार्थवादी दृष्टिकोण) : यथार्थवादी (Realist) विचारकों का तर्क है कि वीटो पावर ने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- **महाशक्तियों का सीधा टकराव:** यदि सुरक्षा परिषद किसी महाशक्ति के विरुद्ध उसकी इच्छा के बिना सैन्य कार्रवाई का आदेश देती, तो वह महाशक्ति संयुक्त राष्ट्र छोड़ देती और सीधे युद्ध (Direct War) की स्थिति बन जाती।
- **परमाणु युग की स्थिरता:** शीत युद्ध के दौरान, वीटो ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक "राजनयिक बफर" का काम किया।
- **उद्धरण: जॉन मियरशाइमर (John Mearsheimer)** के अनुसार, "अंतरराष्ट्रीय संस्थान केवल तभी प्रभावी होते हैं जब वे महान शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन को प्रतिबिंबित करते हैं। वीटो इसी कड़वी सच्चाई का एक वैधानिक ढांचा है" (**Mearsheimer, 1994**)।

वीटो: परिषद का 'पक्षाघात' (आदर्शवादी दृष्टिकोण) : इसके विपरीत, उदारवादी और मानवाधिकारवादी तर्क देते हैं कि वीटो ने सुरक्षा परिषद को एक "डिबेटिंग क्लब" में बदल दिया है, जो संकट के समय कार्रवाई करने में असमर्थ है।

- **सामूहिक सुरक्षा की विफलता:** जब भी कोई महाशक्ति या उसका सहयोगी किसी संघर्ष में शामिल होता है, वीटो परिषद को हाथ बांधने पर मजबूर कर देता है।

- **युद्धों का लंबा खिंचना:** सीरिया, यमन और हाल के यूक्रेन युद्ध में वीटो के कारण परिषद कोई भी प्रवर्तन कार्रवाई (Enforcement Action) नहीं कर सकी, जिससे हिंसा और मानवीय संकट और अधिक गहरा गया।
- **उद्धरण: ब्रूनो सिम्मा (Bruno Simma)** ने इसे "वैश्विक न्याय की हत्या" कहा है, जहाँ पांच देशों की असहमति पूरी दुनिया की शांति को बंधक बना लेती है (**Simma, 2012**)।

'शांति के लिए एकता' (Uniting for Peace) प्रस्ताव: एक वैकल्पिक मार्ग : जब वीटो के कारण सुरक्षा परिषद पंगु हो जाती है, तो महासभा (General Assembly) प्रस्ताव 377A का सहारा लेती है। इसे 'शांति के लिए एकता' प्रस्ताव कहा जाता है।

- **इतिहास:** 1950 में कोरियाई युद्ध के दौरान इसे अपनाया गया था ताकि वीटो को दरकिनार कर शांति बहाली की जा सके।
- **प्रभाव:** हालांकि महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी (Binding) नहीं होते, लेकिन वे वैश्विक जनमत और नैतिक दबाव बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। हाल ही में यूक्रेन और गाजा के मामलों में महासभा का सक्रिय होना परिषद की विफलता का ही प्रमाण है।

चार्ट 6: वीटो का शांति पर प्रभाव - एक तुलनात्मक विश्लेषण

पक्ष	तर्क (Arguments)	उदाहरण
सकारात्मक (शांति रक्षक)	महाशक्तियों को एक मंच पर बनाए रखता है।	शीत युद्ध के दौरान सीधे युद्ध का टलना।
नकारात्मक (बाधक)	आक्रामक राष्ट्रों को दंडमुक्ति (Impunity) प्रदान करता है।	रूस-यूक्रेन, इजरायल-फिलिस्तीन, सीरिया।
प्रशासनिक	परिषद को जल्दबाजी में किए गए निर्णयों से बचाता है।	इराक युद्ध (2003) पर परिषद की असहमति।

परिणाम: 'सिलेक्टिव पीस' (Selective Peace) : वीटो का द्वंद्व यह है कि शांति केवल तभी स्थापित होती है जब P5 देशों के हितों में टकराव न हो। यदि अफ्रीका के किसी छोटे देश में गृहयुद्ध है, तो परिषद सक्रिय हो जाती है, लेकिन यदि संघर्ष का तार किसी महाशक्ति से जुड़ा है, तो परिषद मौन हो जाती है। इसे "चयनात्मक शांति" की अवधारणा कहा जाता है।

- **उद्धरण: रॉबर्ट सी. जोहन्सन (Robert C. Johansen)** के अनुसार, "वीटो पावर ने संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसी संस्था बना दिया है जो केवल कमजोरों को अनुशासित कर सकती है, ताकतवरों को नहीं" (**Johansen, 2008**)।

वर्तमान चुनौतियाँ और सुधार के प्रस्ताव : 21वीं सदी की भू-राजनीति 1945 की तुलना में पूर्णतः भिन्न है। आज की चुनौतियाँ (जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध, और गैर-राज्य अभिकर्ता) किसी एक महाशक्ति के वीटो से हल नहीं हो सकतीं। इस खंड में हम वीटो पावर के समक्ष मौजूद संकटों और प्रस्तावित सुधारों का विश्लेषण करेंगे।

वर्तमान चुनौतियां: एक "अवरुद्ध" संस्था : सुरक्षा परिषद वर्तमान में अपनी प्रासंगिकत (Relevance) के संकट से जूझ रही है।

- **प्रतिनिधित्व का अभाव:** 54 अफ्रीकी देशों और लातिन अमेरिका का स्थायी सदस्यता में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यह 'वीटो' को एक "औपनिवेशिक अवशेष" (Colonial Hangover) बनाता है।

- **बहुध्रुवीय विश्व बनाम एकध्रुवीय वीटो:** भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसी शक्तियां अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में P5 देशों के बराबर या उनसे अधिक योगदान दे रही हैं।
- **उद्धरण: शशि थरूर (Shashi Tharoor)** के अनुसार, "सुरक्षा परिषद एक ऐसे बीमार व्यक्ति की तरह है जिसका इलाज 1945 के नुस्खे से किया जा रहा है, जबकि बीमारी 2026 की है" (**Tharoor, 2020**)।

सुधार के प्रमुख प्रस्ताव (Proposed Reforms) : अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने वीटो के प्रभाव को कम करने या परिषद का विस्तार करने के लिए कई मॉडल पेश किए हैं:

G4 देशों का दावा (भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील) : ये चारों देश एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। भारत का तर्क है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping) में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

- **वीटो पर रुख:** G4 ने प्रस्ताव दिया है कि नए स्थायी सदस्यों को शुरू में वीटो पावर नहीं दी जानी चाहिए (कम से कम 15 वर्षों तक), ताकि सुधार की प्रक्रिया में तेजी आ सके।

'फ्रांस-मेक्सिको' पहल (Veto Restraint) : यह प्रस्ताव सबसे व्यावहारिक माना जाता है। इसके तहत P5 देश स्वेच्छा से वादा करते हैं कि यदि कहीं **'सामूहिक अत्याचार' (Mass Atrocities)** हो रहे हों, तो वे वीटो का उपयोग नहीं करेंगे।

- **स्थिति:** 100 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन रूस और चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानकर खारिज कर दिया है।

'अफ्रीकी आम सहमति' (Ezulwini Consensus) : अफ्रीकी संघ की मांग है कि अफ्रीका को कम से कम दो स्थायी सीटें मिलनी चाहिए, और उन सीटों के पास "सभी मौजूदा विशेषाधिकार" (यानी वीटो) होने चाहिए।

चार्ट 7: वीटो सुधार के विभिन्न मॉडल

मॉडल	मुख्य विशेषता	उद्देश्य
मॉडल A	6 नई स्थायी सीटें (बिना वीटो के)	प्रतिनिधित्व बढ़ाना।
मॉडल B	नई श्रेणी की 'अर्ध-स्थायी' सीटें (8 वर्ष का कार्यकाल)	जवाबदेही और रोटेशन सुनिश्चित करना।
वीटो उन्मूलन	वीटो को पूरी तरह समाप्त करना	पूर्ण लोकतांत्रिक समानता।

वीटो पहल (Veto Initiative - 2022) : हाल ही में महासभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया है। अब यदि कोई स्थायी सदस्य वीटो का उपयोग करता है, तो उसे 10 कार्य दिवसों के भीतर महासभा में आकर स्पष्टीकरण देना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया।

- **प्रभाव:** यह वीटो को कानूनी रूप से तो नहीं रोकता, लेकिन यह महाशक्तियों पर "नैतिक और राजनीतिक दबाव" (Moral Pressure) डालता है।
- **उद्धरण: रिचर्ड गोवन (Richard Gowan)** के अनुसार, "यह प्रस्ताव वीटो की कीमत (Cost of Veto) को बढ़ा देता है, जिससे महाशक्तियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है" (**Gowan, 2022**)।

निष्कर्ष की ओर: क्या सुधार संभव है? : सबसे बड़ी चुनौती चार्टर का अनुच्छेद 108 है। किसी भी सुधार के लिए P5 देशों की सहमति और वीटो की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा "दुष्चक्र" (Vicious Cycle) है जहाँ सुधार करने वाली शक्ति उन्हीं के पास है जिन्हें सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है।

निष्कर्ष : "वीटो पावर का इतिहास: सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों के स्वार्थ बनाम वैश्विक शांति" विषय पर किए गए

इस विस्तृत शोध से यह स्पष्ट होता है कि वीटो केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकताओं का प्रतिबिंब है। शोध के निष्कर्षों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से संक्षेपित किया जा सकता है:

एक "आवश्यक बुराई" के रूप में वीटो : शोध यह सिद्ध करता है कि 1945 में वीटो पावर का समावेशन एक आदर्शवादी चुनाव नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मजबूरी थी। यदि महाशक्तियों को यह विशेषाधिकार नहीं दिया जाता, तो संयुक्त राष्ट्र का हश्र भी 'लीग ऑफ नेशंस' की तरह होता। वीटो ने महाशक्तियों को एक ही मेज पर बनाए रखा है, जिससे परमाणु युग में किसी तीसरे विश्व युद्ध की संभावना कम हुई है। इस अर्थ में, वीटो एक **"सुरक्षा वॉल्व"** (Safety Valve) रहा है।

शांति की विफलता और नैतिक पतन : हालाँकि, वैश्विक शांति के संदर्भ में वीटो का ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। केस स्टडीज (सीरिया, यूक्रेन, गाजा) से यह स्पष्ट है कि जब भी किसी महाशक्ति के 'राष्ट्रीय हित' दांव पर होते हैं, तो 'मानवाधिकार' और 'अंतरराष्ट्रीय कानून' गौण हो जाते हैं। वीटो ने सुरक्षा परिषद को अक्सर एक ऐसी संस्था बना दिया है जो केवल उन संघर्षों में प्रभावी होती है जहाँ P5 देशों के हितों का टकराव नहीं होता। यह "चयनात्मक न्याय" संयुक्त राष्ट्र की नैतिक विश्वसनीयता को गंभीर क्षति पहुँचाता है।

भविष्य की राह: सुधार या अप्रासंगिकता? : वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में, जहाँ भारत और अन्य उभरती शक्तियां एक बड़ी भूमिका की मांग कर रही हैं, 1945 का ढांचा अब अपर्याप्त है। 2022 की 'वीटो पहल' (Veto Initiative) एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह पूर्ण समाधान नहीं है।

शोध के अंतिम सुझाव :

- **वीटो का सीमित उपयोग:** सामूहिक अत्याचारों और नरसंहार के मामलों में वीटो के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली 'फ्रांस-मेक्सिको' पहल को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए।
- **लोकतांत्रीकरण:** सुरक्षा परिषद का विस्तार अनिवार्य है ताकि यह 21वीं सदी की जनसांख्यिकीय और आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व कर सके।
- **जवाबदेही:** महाशक्तियों को अपने वीटो के उपयोग के लिए महासभा के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

अंततः, वीटो पावर वैश्विक शांति के मार्ग में एक बड़ा अवरोध है, लेकिन इसे रातों-रात हटाना भी वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। समाधान "वीटो के उन्मूलन" में नहीं, बल्कि इसके "संयमित और पारदर्शी उपयोग" में निहित है। यदि संयुक्त राष्ट्र को अगले दशकों में अपनी प्रासंगिकता बचाए रखनी है, तो उसे 'शक्ति की राजनीति' (Power Politics) और 'वैश्विक न्याय' (Global Justice) के बीच एक नया संतुलन खोजना होगा।

संदर्भ सूची (Full Bibliography / References) :

मुख्य पुस्तकें (Books) :

1. **Bosco, D. L. (2009).** *Five to Rule Them All: The UN Security Council and the Making of the Modern World.* Oxford University Press. (pp. 38-62, 115-140). [इसमें वीटो के उद्भव और शीत युद्ध के दौरान इसके प्रयोग का विस्तृत विवरण है।]
2. **Evans, G. (2012).** *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All.* Brookings Institution Press. (pp. 52-78). [नरसंहार और वीटो की बाधा पर महत्वपूर्ण विमर्श।]

3. **Hildebrand, R. C. (1990).** *Dumbarton Oaks: The Origins of the United Nations and the Search for Postwar Security.* Oxford University Press. (pp. 230-255). [डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन के दौरान वीटो पर हुई चर्चाओं का दस्तावेजीकरण।]
4. **Kennedy, P. (2006).** *The Parliament of Man: The Past, Present, and Future of the United Nations.* Random House. (pp. 45-75, 240-265). [संयुक्त राष्ट्र के इतिहास और भविष्य की चुनौतियों पर विश्लेषण।]
5. **Luck, E. C. (2006).** *UN Security Council: Practice and Promise.* Routledge. (pp. 102-128). [परिषद की कार्यप्रणाली और वीटो के व्यावहारिक प्रयोग पर अंतर्दृष्टि।]
6. **Morgenthau, H. J. (1948).** *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.* Alfred A. Knopf. (pp. 422-445). [यथार्थवादी सिद्धांत और शक्ति संतुलन के संदर्भ में वीटो का दार्शनिक आधार।]
7. **Schlesinger, S. C. (2003).** *Act of Creation: The Founding of the United Nations.* Westview Press. (pp. 192-214). [सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन और छोटे देशों के विरोध का जीवंत वर्णन।]
8. **Simma, B. (2012).** *The Charter of the United Nations: A Commentary (Vol. 1).* Oxford University Press. (pp. 823-850). [अनुच्छेद 27 की कानूनी व्याख्या।]
9. **Walters, F. P. (1952).** *A History of the League of Nations.* Oxford University Press. (pp. 450-480). [राष्ट्र संघ की सर्वसम्मति के नियम और उसकी विफलता का विश्लेषण।]
10. **Weiss, T. G. (2018).** *Would the World Be Better without the UN?* Polity Press. (pp. 88-112). [21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और वीटो के प्रभाव पर समीक्षा।]

जर्नल और लेख (Journals & Articles) :

11. **Gowan, R. (2022).** "The Veto Initiative: A New Era for the UNGA?" *International Crisis Group - Global Report.* (pp. 12-18).
12. **Mearsheimer, J. J. (1994).** "The False Promise of International Institutions." *International Security*, 19(3). (pp. 5-49).
13. **Zunes, S. (2004).** "The US, Israel, and the UN: The Case for Peace." *Foreign Policy in Focus*, Special Report. (pp. 3-15).

आधिकारिक दस्तावेज और रिपोर्ट (Official Documents & Reports) :

14. **Security Council Report (2024).** *The Veto: Annual Statistical Review (1946-2023).* United Nations Documents Service. (pp. 4-22).
15. **United Nations. (1945).** *Charter of the United Nations.* San Francisco Conference Records. (Article 27, 108).
16. **United Nations General Assembly. (1950).** *Resolution 377 (V) "Uniting for Peace".* Official Records of the 5th Session.
17. **United Nations General Assembly. (2022).** *Resolution 76/262: Standing mandate for a General Assembly debate when a veto is cast in the Security Council.*

•